न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 25/2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1राजू कुमावत पुत्र धुकलराम जाति कुमावत निवासी गांव जसवंतपुरा, पो. लेसवा तहसील पीसांगन जिला अजमेर। फर्म–भवानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, जसनगर चौराहा, रियाबडी जिला नागौर। 2शैतानसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी –9 सरवडी ग्राम पो. सरवडी वाया कल्याणपुरा तहसील पंचपदरा जिला बाडमेर। हाल निवासी–जसनगर, तहसील रियाबडी जिला नागौर। फर्म–भवानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, जसनगर चौराहा, रियाबडी जिला नागौर।

आदेश दिनांक : 17-01-2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12-02-2019 को भवानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, रियाबडी पर खाद्य पदार्थ मीठा मावा में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1086 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 96/एक्ट/2019/165 दिनांक 26.02.19 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मीठा मावा Sub-Standard होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण राजू कुमावत पुत्र धुकलराम जाति कुमावत निवासी गांव जसवंतपुरा, पो. लेसवा तहसील पीसांगन जिला अजमेर तथा शैतानसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी –9 सरवडी ग्राम पो. सरवडी वाया कल्याणपुरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 17-06-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता ने दिनांक 22.08.19 को वकालतनामा तथा जवाब पेश किया तथा अपने जवाब मे लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया। अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात सुनवाई मे अनुपस्थित रहे है। पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे मिठाई की दुकान होना तथा लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार भी किया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 96/एक्ट/2019/165 दिनांक 26.02.19 के अनुसार खाद्य पदार्थ मीठा मावा का नमूना Sub-Standard पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण राजू कुमावत पुत्र धुकलराम जाति कुमावत निवासी गांव जसवंतपुरा, पो. लेसवा तहसील पीसांगन जिला अजमेर तथा शैतानसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी –9 सरवडी ग्राम पो. सरवडी वाया कल्याणपुरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर पर संयुक्त रूप से 30,000/– अक्षरे रूपये तीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)